बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या व.सं / 33 / 2022– 1031

प्रेषक,

नन्द कुमार मांझी
उप वन संरक्षक।

सेवा में,

वरिष्ठ महाप्रबंधक,
श्री सिमेन्ट लिमिटेड, राजस्थान। पटना 14, दिनांक– 02/12/2022

विषय – 33 के०वी० पारेषण लाईन श्री बिहार सोलर परियोजना–132/33 KV GSS बाँका (नई) के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.84 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/TRANS/152127/2022/729 दिनांक 29.11.2022 (छायाप्रति संलग्न)।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा भारत सरकार ने विषयाधीन ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु 0.84 हेक्टेयर वन भूमि के अपयोजन के प्रस्ताव पर दो भागों (भाग–A एवं B) में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की है। सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के भाग–A में 1–6 शर्तें तथा भाग–B में 1–11 शर्तें अधिरोपित है जिसका कंडिकावार अनुपालन आपके स्तर से अपेक्षित है।

2. सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के भाग–A के शर्त संख्या 1 के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या 03 दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं वर्त्तमान मजदूरी पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु रू० 17,85,098/– (रूपये सतरह लाख पच्चासी हजार अनठानवें) मात्र प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, बाँका के पत्रांक 1684 दिनाक 02.12.2022 प्राप्त हुआ है जो इस पत्र के साथ संलग्न है।

उक्त राशि का आकलन वर्तमान मजदूरी दर रू० 373/प्रतिमानव दिवस पर किया गया है। श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर मजदूरी दर में किये जाने वाले वृद्धि के फलस्वरूप क्षतिपूरक वनीकरण मद की राशि संभावित वृद्धि के साथ भुगतेय होगा।

3. सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के भाग–A के शर्त संख्या 2 के आलोक में परियोजना निर्माण के क्रम में 0.84 हेक्टेयर अपयोजित होने वाली वन भूमि का NPV की राशि 9.57780 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से कुल रू० 8,04,535/– (रूपये आठ लाख चार हजार पाँच सौ पैतीस) मात्र NPV के मद में प्रयोक्ता एजेन्सी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार को उपलब्ध कराएगी।

4. सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के भाग–B के शर्त संख्या 7 (d) के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या 03 दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं वर्त्तमान मजदूरी पर बौनी प्रजाति (Preferably medicinal plant) के पौधों के रोपण हेतु रू० 19,34,387/– (रूपये उनीस लाख चौतीस हजार तीन सौ सतासी) मात्र का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, बाँका के पत्रांक 1684 दिनांक 02.12.2022 प्राप्त हुआ है जो इस पत्र के साथ संलग्न है।

उक्त राशि का आकलन वर्त्तमान मजदूरी दर रू० 373/प्रतिमानव दिवस पर किया गया है। श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर मजदूरी दर में किये जाने वाले वृद्धि के फलस्वरूप क्षतिपूरक वनीकरण मद की राशि संभावित वृद्धि के साथ भुगतेय होगा।

5. **उपर्युक्त CA, NPV एवं बौनी प्रजाति (Preferably medicinal plant) पौधों के रोपण की कुल राशि रू० 45,24,020/– (रूपये पैतालीस लाख चौबीस हजार बीस) मात्र को मंत्रालय के वेव–साईट parivesh.nic.in से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online Mode द्वारा फंड ट्रांस्फर कर राशि जमा कराई जाय।**

6. उक्त जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, के e-portal पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना हेतु इस कार्यालय को UTR No एवं दिनांक के साथ e-challan की मूल प्रति दी जाय।

7. उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रसंगाधीन पत्र के भाग–A में सन्निहित 1–6 शर्त्तें तथा भाग–B में सन्निहित 1–11 शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समेकित प्रतिवेदन इस कार्यालय को यथाशीघ्र समर्पित करने की कृपा की जाय ताकि भारत सरकार से विषयाधीन मामले में अन्तिम स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

02.12.22

(नन्द कुमार माझी)

उप वन संरक्षक।

File No.FP/BR/TRANS/152127/2022
भारत सरकार / Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय/Integrated Regional Office
पता: द्वितीय तल, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड मुख्यालय, हरमू चौक, राँची, झारखण्ड - 834002
Add: 2nd Floor, Headquarter-Jharkhand State Housing Board, Harmu Chowk, Ranchi, Jharkhand - 834002
Tel: 0651-2410002, 2410007, E-mail: ro.ranchi-mef@gov.in

सत्यमेव जयते

संख्या:एफ.पी/बी.आर/ट्रांस/152127/2022/729 दिनांक: 29/11/2022

सेवा में,

प्रधान सचिव
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
बिहार सरकार, सिंचाई भवन
पटना – 800015.

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
प्राप्ति संख्या 1197
दिनांक 30/11/2022
वन संरक्षण संभाग

विषय :- 33 KV पारेषण लाईन श्री बिहार सोलर परियोजना 132/33 के०भी० जीएसएस बाँका (नई) के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.84 हे० वन-भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक (स्टेज-I) स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निर्देशानुसार उपर्युक्त विषयपर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति हेतु राज्य सरकार, बिहार के पत्र संख्या वन भूमि-40/2022-740(ई)/प.व.ज.प. दिनांक 29.09.2022 और अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह–नोडल पदाधिकारी (एफ. सी.), बिहार के के पत्र संख्या एफसी/33/2022-911, 931 एवं 1019 दिनांक 21.10.2022, 02.11.2022 एवं 25.11.2022 के संदर्भ में कहना है कि राज्य सरकार के प्रस्ताव पर विचारोपरान्त 33 KV पारेषण लाईन श्री बिहार सोलर परियोजना 132/33 के०भी० जीएसएस बाँका (नई) के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.84 हे० वन-भूमि अपयोजन के लिए केंद्र सरकार (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) की **सैद्धांतिक (स्टेज-1)** स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं अपेक्षाओं के अधीन प्रदान की जा रही है:-

A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department.

1. The user agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation (300 trees plantation and maintenance for 10 years) at the current wage rate in consultation with State Forest Department in the account of CAMPA of the concerned State through online portal.
2. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.84 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letter No. 5-1/1998-FC(Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006, 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and **letter No.5-3/2011-FC(Vol-I) dated 6/1/2022** in this regard.
3. All the funds from the user agency under the project shall be transferred / deposited to state's CAMPA account only through *e-portal* (*https://parivesh.nic.in*).
4. The FRA certificate as per Ministry's guidelines shall be submitted before the issuance of final approval. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.

5. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No.5-2/2017-FC dated 28.03.2019.

6. The compliance report shall be uploaded on *e-portal (http://parivesh.nic.in).*

B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval:

1. Legal status of forest land proposed for diversion shall remain unchanged.

2. The State Forest Department shall plant 300 trees to maintain the green cover at the project cost. Planting site for the purpose shall be identified by the State Forest Department preferably in the vicinity of the project site. Indigenous tree species should be preferred for such plantation.

3. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.

4. User Agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department after obtaining permission from the DFO for the effect and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department. Further, in view of the State Government's recommendation, such number of trees whose removal is unavoidable, and whose translocation (species, number and girth to be decided by SFD) is practicable, will be translocated to the extent possible at the cost of user agency.

5. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.

6. Width of Right of Way for the Transmission Line shall be limited to 15 m.

7. To minimize the felling of trees for construction of Transmission Line, User Agency shall comply with the following guidelines:

   (a)The normal clearance below each conductor or conductor bundle will be 3 m only. The trees on such strips may be trimmed and after stringing work is completed, the natural regeneration will be allowed to come up.

   (b)Outer strip may be left clear to permit maintenance of the Transmission Line.

   (c) In the remaining width of Right of Way felling/ pollarding/ pruning of trees will be done with the permission of the local Forest Officer whenever necessary to maintain the electrical clearance. Trees shall be allowed to be felled or lopped to the extent required, for preventing electrical hazards by maintaining the minimum 3 meter clearance between conductors and trees. The maximum sag and swing of the conductors are to be kept in view while working out the minimum clearance mentioned as above.

   (d)The Scheme for creation and maintenance of plantation of dwarf species in Right of Way under the Transmission Line, as prepared by the State Forest Department shall be implemented from the funds provided by the User Agency and a scheme for this shall be submitted.

8. The User Agency shall ensure that the labourers and staff engaged in construction activities do not damage the nearby forest flora and fauna. The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.
9. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change.
10. (a) The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.

    (b) The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of the project life/ requirement.

    (c) The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change.
11. Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.

After receipt of the report from the State Government regarding due compliance and fulfillment of the above conditions and stipulations, formal approval will be issued in this regard under Section 2 of Forest (Conservation) Act, 1980. Transfer of forest land by the State Government to the user agency should not be given effect to till formal order approving diversion of forest land is issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. **To facilitate speedy execution of this project, the in-principle approval may be considered for issuance of working permission for commencement of works by the competent authority**, if the required funds for NPV and all other compensatory levies specified in the in-principle approval are realized from the user agency and accordingly the State Government, by passing an order, may allow the commencement of work of the linear project in forest land for a period of one year (The detail guideline issued vide Ministry letter No. 11-306/2014-FC, dated 28.08.2015 may be referred).

विश्वासभाजन

29/11/22

(शशि शंकर)

सहायक वन महानिरीक्षक

प्रतिलिपि:-

1. आई०जी०एफ०, आर०ओ०एच०क्यू०, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003.
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक- सह – नोडल पदाधिकारी (एफ. सी.), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार, अरण्य भवन, शहीद पीर अलीखां मार्ग, पटना-800014.
3. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बांका वन प्रमण्डल, बिहार।
4. वरिष्ठ महाप्रबंधक, श्रीसीमेंट लिमिटेड, बंगुर नगर, अन्देरी डोरी, जिला – अजमेर, राजस्थान-305901.
5. गार्ड फाईल।

29/11/22

सहायक वन महानिरीक्षक

कार्यालय, वन प्रमंडल पदाधिकारी, बांका वन प्रमंडल, बांका

आजाद चौक, बाबू टोला, बांका–813102
E-mail–dfo.banka@gmail.com

पत्रांक–1684

प्रेषक,

अभिषेक कुमार सिंह,(भा0व0से0)
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
बांका वन प्रमंडल, बांका।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–
नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

बांका, दिनांक–02/12/2022

विषय :– 33 के0भी0 पारेषण लाईन श्री बिहार सोलर परियोजना 132/33 के0भी0 जी0एस0एस0 बांका (नई) के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 के तहत 0.84 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के विरूद्ध 1.00 हे0 वनभूमि में बौनी प्रजाति (Preferably Medicinal Plants) पौधे के रोपण हेतु प्राक्कलन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :– भवदीय पत्रांक–व0सं0/33/2022–1030 दिनांक–02–12–2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि, विषयांकित परियोजना से संबंधित 0.84 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के विरूद्ध 1.00 हे0 वनभूमि बौनी प्रजाति (Preferably Medicinal Plants) पौधे के रोपण हेतु 1.00 हे0 का प्राक्कलन साथ ही साथ क्षतिपूरक वनीकरण हेतु 300 पौधे का प्राक्कलन अद्यतन मजदूरी दर पर बनाकर इस पत्र के साथ संलग्न कर समर्पित की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि, प्राक्कलन स्वीकार करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
बांका वन प्रमंडल, बांका।

ज्ञापांक– 1684 दिनांक– 2/12/2022

प्रतिलिपि–अनुलग्नक सहित वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
बांका वन प्रमंडल, बांका।
नीरज
2/12/22

बांका वन प्रमंडल बांका

33 KV पारेषण लाईन श्री बिहार सोलर परियोजना 132/33 KV GSS बांका (नई) के निर्माण हेतु क्षतिपुरक वनरोपण का प्रस्ताव

बौनी प्रजाति (Preferably medicinal plants) के पौधों का वृक्षारोपण

क) वनरोपण स्थल का विवरण

1. प्रमंडल का नाम – बांका
2. प्रक्षेत्र का नाम – कटोरिया
3. परिसर का नाम सुईया
4. जिला का नाम – बांका
5. प्रखंड का नाम – कटोरिया
6. रक्षित वन का नाम– धमाना
7. थाना संख्या – 113
8. खेसरा संख्या – 2338
9. ग्रौस क्षेत्रफल (हे0) – 2
10. शुद्ध क्षेत्रफल (हे0) – 1
11. स्पेसिंग – 2मी0 X 2मी0
12. लगाये जाने वाले पौधों की संख्या – 1100
13. घेरान की लंबाई (चेन) – 6
14. न्युनतम मजदूरी दर – (प्रति मा0 दि0) 373.00

		1		2		3		4	
		Long	Latt	Long	Latt	Long	Latt	Long	Latt
		24.82092°	86.626668°	24.820838°	86.627103°				
क्र सं0	कार्य		इकाई	आवश्यक मा0 दि0	मजदूरी	सामग्री	मजदूरी	सामग्री	कुल व्यय
अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)									
17.1	सर्वे सीमांकन –वृक्षारोपण क्षेत्र का सीमांकन एवं अस्थाई बॉउन्ड्री पीलर का निर्माण– Soil Profile पीट की खुदाई सहित		हे0	3.00	1119	25	2238	50	2288
17.2.1	झाड़ी सफाई (सामान्य झाड़ी)		हे0	8.00	2984		2984		2984
17.4.3	(i) ट्रेंच घेरान – आकार – (1.83m X 1.22m X 1.22 m) कड़ी मृदा में ट्रेंच खुदाई के लिए मशीन का प्रयोग करने पर।		प्रति चेन 3000 रू0			3000		18000	18000
	(ii) खुदाई की गई मिटी का बन्ड बनाना –		प्रति चेन	3	1119		6714		6714
17.7.2	मृदा कार्य –आकार 0.30m X0.30m X0.30m (कड़ी मृदा)		प्रति 1000 गड्ढा	26.50	9884.5		10873		10873
17.9	अंश पौधशाला कार्य (20 प्रतिशत अतिरिक्त पौधों के साथ) वृक्षरोपण स्थल के निकट अस्थाई पौधशाला की स्थापना घेरान, टॅयूब की भराई एवं अन्य रख–रखाव कार्य।		प्रति 1000 पौधें	8.158	3043	1773	3347	1950	5298
17.10	सामग्री क्रय (अंश पौधशाला सामग्री क्रय सहित)					500		550	550
	उप–योग						26156	20550	46706
समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)									
17.11	अंश पौधशाला कार्य (20 प्रतिशत अतिरिक्त पौधों के साथ) माह अप्रेल से वृक्षरोपण समय तक पौधशाला में पटवन,सोटिंग, खाली ट्यूबों में बीजारोपण एवं अन्य रख–रखाव कार्य।		प्रति 1000 पौधें	10.92	4073.16	280	4480	308	4788
17.12	वृक्षारोपण (10 ग्रा0 डी0ए0पी0 तथा 7ग्रा0 कीटनाशक के साथ) एवं अन्य		प्रति 1000 गड्ढा	32.00	11936	450	13130	495	13625
13.2.2	दो कोड़नी निकौनी (मृत पौधों के बदलाव के साथ) 10ग्रा0 उर्वरक के साथ प्रति पौधें 6' डायमीटर में घास की सफाई एवं 3' डायमीटर मे कोडाई कर मिट्टी को हल्का करना एवं मृत पौधों को प्रतिस्थापन करना।		प्रति 1000 पौधें	35	13055	300	14361	330	14691
17.14	ट्रेंच घेरान के वर्म पर बीजारोपण		प्रति चेन	0.5	186.5	40	1119	240	1359
17.15.1	समापन वर्ष सुरक्षा (अगस्त से मार्च) 0 हे0 से 30 हे0 तक			243			90639		90639
17.21.1	विविध कार्य समापन वर्ष दो साईन बोर्ड 4' X 3' एवं छायांकन इत्यादि।		प्रति वृक्षरोपण					10000	10000
	उप–योग						123729	11373	135102
	संभावित मूल्य वृद्धि @ 10%								13510
	योग								148612

ण सम्पोषन प्रथम वर्ष (तृतीय वर्ष)								
.16.2	दो कोड़नी निकौनी (मृत पौधों के बदलाव के साथ) 10ग्रा0 उर्वरक के साथ प्रति पौधें 6' डायमीटर में घास की सफाई एवं 3' डायमीटर मे कोड़ाई कर मिट्टी को हल्का करना एवं मृत पौधों को प्रतिस्थापन करना।	प्रति 1000 पौधें	35	13055	150	14361	165	14526
17.17.1	प्रथम वर्ष सम्पोषन वर्ष सुरक्षा (अप्रिल से मार्च) 0 हे0 से 30 हें0 तक		365			136145		136145
17.17.5	ट्रेंच की मरम्मति प्रति चेन	प्रति चेन	3	1119		6714		6714
	उप–योग					**157220**	**165**	**157385**
	संभावित मूल्य वृद्धि @ 20%							**31477**
	योग							**188861**
वृक्षारोपण सम्पोषन द्वितीय वर्ष (चतुर्थ वर्ष)								
17.18.2	एक कोड़नी निकौनी कड़ी मृदा मे	प्रति 1000 पौधें	35	13055	150	14361	165	14526
17.19.1	द्वितीय वर्ष सम्पोषन वर्ष सुरक्षा (अप्रिल से मार्च) 0 हे0 से 30 हें0 तक		365			136145		136145
17.21.3	विविध कार्य साईन बोर्ड 4' X 3' एवं छायांकन इत्यादि।	प्रति वृक्षरोपण					5000	5000
	उप–योग					**150506**	**5165**	**155671**
	संभावित मूल्य वृद्धि @ 30%							**46701**
	योग							**202372**
वृक्षारोपण सम्पोषन तृतीय वर्ष (पंचम वर्ष)								
17.20.1	तृतीय वर्ष समपोषन वर्ष सुरक्षा (अप्रिल से मार्च) 0 हे0 से 30 हें0 तक		365			136145		136145
	उप–योग					**136145**	**0**	**136145**
	संभावित मूल्य वृद्धि @ 40%							**54458**
	योग							**190603**
वृक्षारोपण सम्पोषन चतुर्थ वर्ष (षष्टम वर्ष)								
17.22.1	चतुर्थ वर्ष समपोषन वर्ष सुरक्षा (अप्रिल से मार्च) 0 हे0 से 30 हे0 तक		365			136145		136145
	उप–योग					**136145**	**0**	**136145**
	संभावित मूल्य वृद्धि @ 50%							**68073**
	योग							**204218**
वृक्षारोपण सम्पोषन पंचम वर्ष (सप्तम वर्ष)								
17.23.1	पंचम वर्ष समपोषन वर्ष सुरक्षा (अप्रिल से मार्च) 0 हे0 से 30 हें0 तक		365			136145		136145
	उप–योग					**136145**	**0**	**136145**
	संभावित मूल्य वृद्धि @ 60%							**81687**
	योग							**217832**
वृक्षारोपण सम्पोषन षष्टम वर्ष (अष्टम वर्ष)								
17.24.1	षष्टम वर्ष समपोषन वर्ष सुरक्षा (अप्रिल से मार्च) 0 हे0 से 30 हें0 तक		365			136145		136145
	उप–योग					**136145**	**0**	**136145**
	संभावित मूल्य वृद्धि @ 70%							**95302**
	योग							**231447**
वृक्षारोपण सम्पोषन सप्तम वर्ष (नवम वर्ष)								
17.25.1	सप्तम वर्ष समपोषन वर्ष सुरक्षा (अप्रिल से मार्च) 0 हे0 से 30 हें0 तक		365			136145		136145
	उप–योग					**136145**	**0**	**136145**
	संभावित मूल्य वृद्धि @ 80%							**108916**
	योग							**245061**

	ग सम्पोषन अष्टम वर्ष (दसम वर्ष)							
26.1	अष्टम वर्ष समपोषन वर्ष सुरक्षा (अप्रिल से मार्च) 0 हें0 से 30 हें0 तक		365			136145		136145
	उप–योग					**136145**	**0**	**136145**
	संभावित मूल्य वृद्धि @90%							**122531**
	योग							**258676**
	कुल योग :–							**1934387**

			वनरोपण राशि
1	प्रथम वर्ष	अग्रिम कार्य की राशि	46706
2	द्वितीय वर्ष	समापन कार्यो की राशि	148612
3	तृतीय वर्ष	सम्पोषण कार्यो की राशि	188861
4	चतुर्थ वर्ष	सम्पोषण कार्यो की राशि	202372
5	पंचम वर्ष	सम्पोषण कार्यो की राशि	190603
6	षष्टम वर्ष	सम्पोषण कार्यो की राशि	204218
7	सप्तम वर्ष	सम्पोषण कार्यो की राशि	217832
8	अष्टम वर्ष	सम्पोषण कार्यो की राशि	231447
9	नवम वर्ष	सम्पोषण कार्यो की राशि	245061
10	दसम वर्ष	सम्पोषण कार्यो की राशि	258676
		कुल राशि:–	**1934387**

प्रमाणित किया जाता है कि विगत दस वर्षो में उपरोक्त स्थलों पर वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

उपरोक्त स्थल क्षतिपूरक वनरोपण के लिए उपयुक्त है।

समर्पित

ह0/-

वनों के क्षेत्र पदाधिकारी,
कटोरिया

T.S Granted for Rs. 1934387

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
बांका वन प्रमंडल बांका।

33 KV पारेषण लाईन श्री बिहार सोलर परियोजना 132/33 KV GSS बांका (नई) के निर्माण हेतु क्षतिपुरक वनरोपण का प्रस्ताव

स्थल का नाम – शिवलोक से गरूआ कांवरिया पथ के दोनों किनारे में कुल लम्बाई–1 कि0मी0

प्रक्षेत्र – कटोरिया, परिसर–सुईया

पौधों की दूरी –दूरी–4 मी0 X 4 मी0

प्रखंड –– कटोरिया

पौधों की सुरक्षा हेतु घेरान का प्रकार – लौह गैबियन 300

मजदूरी दर– 373.00 प्रति मा0 दि0

	1st Point		Last Point	
	Long	Latt	Long	Latt
Left	24.827443	86.670395	24.825575	86.667387
Right	24.825575	86.667387	24.820117	86.674172

अग्रिम–सह समापन (प्रथम वर्ष)

कम सं0	कार्य का विवरण	इकाई	भौतिक लक्षय	मानव दिवस	ईकाई दर		प्राकलित राशि		
					मजदूरी	सामग्री	कुल मजदूरी	कुल सामग्री	कुल व्यय
20.1	5'X20' (जमीन के उपर) आकार का लॉह गैबियन का निर्माण सामग्री एवं मजदूरी सहित	प्रति गैबियन	300		373.00	2294.00	0	688200	688200
20.0.2	मृदा कार्य 45cm X 45cm X 45cm कडी मृदा (मिट्टी कोडना)	प्रति 1000 पौधा	300	87.9	373.00	0.00	9836	0	9836
20.0.3	लौह गेबियन को वृक्षारोपन स्थल तक ढुलाई कर पीसीसी द्वारा जमीन में स्थापित करना	प्रति 1000 पौधा	300	363	373.00		110400		110400
20.0.4	पौधारोपण (10ग्राम डी.ए.पी. एवं 7 ग्राम कीटनाशक मिटटी एवं गोबर के मिश्रण के साथ	प्रति 1000 पौधा	300	96.0	373.00	2.50	10742	750	11492
20.0.5	5–6 फीट उचाई के पौधों का कय, परिवहन एवं लोडिंग अनलोडिंग सहित इत्यादि (20 प्रतिशत अधिक के साथ) (150 प्रति पौधा)	प्रति 1000 पौधा	330		373.00	150.00		49500	49500
20.0.6	2 लीटर साईज का मिट्टी का मटका का कय, परिवहन एवं स्थापित करने सहित	प्रति 1000 पौधा			373.00		0	0	0
20.0.7	सुक्ष्म पोषक (micro nutrient) (50 रू0 प्रति पौधा)	प्रति 1000 पौधा	300		373.00	50.00		15000	15000
20.0.8	वर्मी कम्पोष्ट (पीट में मिटटी के साथ डालने हेतु) का कय परिवहन के साथ प्रति पौधा 5 किलो ग्राम। (50 रू0 प्रति पौधा)	प्रति 1000 पौधा	300		373.00	50.00		15000	15000
20.0.9	विविध कार्य(छायांकन इत्यादि)		300		373.00			5000	5000
20.0.10	विविध कार्य(पटवन एवं संबंधित सामग्री, डीजल इत्यादि का कय। (80 रू0 प्रति पौधा)	प्रति 1000 पौधा	300		373.00	80.00		24000	24000
20.0.11	प्रथम वर्ष पौधों के लगातार कोडनी–निकौनी, मृत पौधों का बदलाव तथा 9 माह(जूलाई से मार्च तक)पटवन हेतु एक मजदूर (26X304X9)=71136 प्रति 500 पौधा, रसायनिक खाद एवं पटवन सामग्री, ठेला ईत्यादि	प्रति 1000 पौधा	300	468	373.000		174564		87282
	योग –						305542	797450	1015710
20.1.0	द्वित्तीय वर्ष (प्रथम वर्ष सम्पोषण)								
20.1.1	पौंधो के लिए दो कोड़नी निकौनी, मृत पौधों का बदलाव, पटवन तथा तथा 12 माह(अप्रिल से मार्च तक)पटवन हेतु एक मजदूर (26X304X12)= 94848 प्रति 500 पौधा, रसायनिक खाद वर्मी कम्पोष्ट एवं पटवन सामग्री ईत्यादि	प्रति 1000 पौधा	300	624	373.00		232752	0	116376
20.1.2	विविध कार्य(पटवन एवं संबंधित सामग्री, डीजल इत्यादि का कय। (60 रू0 प्रति पौधा)	प्रति 1000 पौधा	300		373.00	80.00		24000	24000
20.1.3	मृत पौधों का बदलाव @150/– रू0 प्रति पौधा का 10 प्रतिशत पौधों का बदलाव	प्रति 1000 पौधा	300		373.00	150.00		45000	4500
	योग –						232752	69000	144876
20.2.1	तृतीय वर्ष (द्वितीय वर्ष सम्पोषण)								
20.2.2	151 से 300 पौधा हेतु प्रति माह 10 मजदूरी	प्रति माह	151-300	10	373.00		44760		44760

	योग :-								44760
	चतुर्थ वर्ष (तृतीय वर्ष सम्पोषण)								
.2	151 से 300 पौधा हेतु प्रति माह 10 मजदूरी	प्रति माह	151-300	10	373.00		44760		44760
0.3.5	पेंटिग आदि विविध व्यय।	प्रति मैविरल	300			100.00	30000		30000
	योग :-								74760
20.4.0	पंचम वर्ष (चतुर्थ वर्ष सम्पोषण)								
20.4.2	151 से 300 पौधा हेतु प्रति माह 10 मजदूरी	प्रति माह	151-300	10	373.00		44760		44760
	योग -						44760	0	44760
20.5.0	षष्टम वर्ष (पंचम वर्ष सम्पोषण)								
20.5.2	151 से 300 पौधा हेतु प्रति माह 10 मजदूरी	प्रति माह	151-300	10	373.00		44760		44760
	योग -						44760	0	44760
20.6.0	सप्तम वर्ष (षष्टम वर्ष सम्पोषण)								
20.6.2	151 से 300 पौधा हेतु प्रति माह 10 मजदूरी	प्रति माह	151-300	10	373.00		44760		44760
20.3.5	पेंटिग आदि विविध व्यय।	प्रति मैविरल	100			100.00	10000		10000
	योग -						54760	0	54760
20.7.0	अष्टम वर्ष (सप्तम वर्ष सम्पोषण)								
20.7.2	151 से 300 पौधा हेतु प्रति माह 10 मजदूरी	प्रति माह	151-300	10	373.00		44760		44760
	योग -						44760	0	44760
20.8.0	नवम वर्ष (अष्टम वर्ष सम्पोषण)								
20.8.2	151 से 300 पौधा हेतु प्रति माह 10 मजदूरी	प्रति माह	151-300	10	373.00		44760		44760
	योग -						44760	0	44760
20.9.0	दसम वर्ष (नवम वर्ष सम्पोषण)								
20.9.2	151 से 300 पौधा हेतु प्रति माह 10 मजदूरी	प्रति माह	151-300	10	373.00		44760		44760
	योग -						44760	0	44760
	कुल योग :-								1558666

क्रम सं.	वर्ष	राशि	संभावित वृद्धि	कुल	अभ्युक्ति
1	प्रथम	1015710	0	1015710	
2	द्वितीय	144876	14488	159364	10 प्रतिशत
3	तृतीय	44760	8952	53712	20 प्रतिशत
4	चतुर्थ	74760	22428	97188	30 प्रतिशत
5	पंचम	44760	17904	62664	40 प्रतिशत
6	षष्टम	44760	22380	67140	50 प्रतिशत
7	सप्तम	54760	32856	87616	60 प्रतिशत
8	अष्टम	44760	31332	76092	70 प्रतिशत
9	नवम	44760	35808	80568	80 प्रतिशत
10	दशम	44760	40284	85044	90 प्रतिशत
कुल		1558666	226432	1785098	

T.S Granted for Rs. 1785098.00 (Seventeen lakh eight five thousand ninety eight) only

समर्पित
Sd/-
वनों के क्षेत्र पदाधिकारी,
कटोरिया प्रक्षेत्र।

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
बांका वन प्रमंडल, बांका।